दो से अधिक संतान होने पर भर्ती, पदोन्नति व एसीपी पर प्रभाव डालने वाले आदेशों का संकलन

(पूर्ण आदेश पढने के लिए संबंधित विवरण को टच करे।)

वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश	
आदेश का संक्षिप्त विवरण	आदेश दिनांक
दो से अधिक संतान होने पर एसीपी देय नहीं	31-Dec-2009
दो से अधिक संतान होने पर एसीपी देय नहीं	31-Dec-2009
दो से अधिक संतान होने पर एसीपी पांच वर्ष बाद देय होगी	06-Oct-2015
दो से अधिक संतान होने पर एसीपी पांच वर्ष बाद देय होगी	06-Oct-2015
दो से अधिक संतान होने पर एसीपी तीन वर्ष बाद देय होगी	01-Jun-2017
दो से अधिक संतान होने पर एसीपी तीन वर्ष बाद देय होगी	01-Jun-2017
विधिक रूप से किये गये द्वितीय विवाह से उत्पन्न प्रथम संतान एसीपी में संतानों की गणना में शामिल नहीं होगी	24-Jul-2017
विधिक रूप से किये गये द्वितीय विवाह से उत्पन्न प्रथम संतान एसीपी में संतानों की गणना में शामिल नहीं होगी	24-Jul-2017
विधिक रूप से किये गये द्वितीय विवाह से उत्पन्न प्रथम संतान एसीपी में संतानों की गणना में शामिल नहीं होने का नियम 01.01.2006/01.09.2006 से लागू	07-Oct-2020
विधिक रूप से किये गये द्वितीय विवाह से उत्पन्न प्रथम संतान एसीपी में संतानों की गणना में शामिल नहीं होने का नियम 01.01.2006/01.09.2006 से लागू	07-Oct-2020
दो से अधिक संतान होने पर एसीपी तीन वर्ष बाद देय होगी परन्तु आगे की एसीपी पर परिणामी प्रभाव नहीं डाला जाएगा	18-Dec-2020
यहाॅ टच कर संकलनकर्ता से व्हाटसएप पर संपर्क करे व अमूल्य सुझाव देवे	

कार्मिक विभाग द्वारा जारी आदेश	
आदेश का संक्षिप्त विवरण	आदेश दिनांक
01.06.2002 या उसके बाद दो से अधिक संतान होने पर राज्य सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नही माना जाएगा	20-Jun-2001
01.06.2002 या उसके बाद दो से अधिक संतान होने पर राज्य सेवक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी	26-Jun-2001
पूर्व में एक संतान होने पर द्वितीय प्रसव पर जन्मी दो संतानों को एक इकाई माना जाएगा	08-Apr-2003
01.06.2002 या उसके बाद दो से अधिक संतान होने पर पदोन्नति पर पांच वर्ष तक विचार नहीं किया जाएगा।	13-Aug-2004
पदोन्न्ति समिति के समक्ष रखे जाने वाले परिशिष्ट डी में संतान से संबंधित सूचना का कालम जोडा गया	29-Oct-2004
पूर्व प्रसव में उत्पन्न विकलांग संतान को संतानों की गिनती में शामिल नहीं किया जाएगा।	24-Feb-2011
पूर्व प्रसव में उत्पन्न विकलांग संतान को संतानों की गिनती में शामिल नहीं किया जाएगा।	24-Feb-2011
कानूनी पुनर्विवाह पश्चात प्रथम प्रसव पर संतान पैदा होने पर नियुक्ति हेतु अयोग्य नहीं माना जाएगा यदि विवाह से पूर्व अयोग्य न हो	20-Nov-2015
राजकीय शिशुग्रह से विधिपूर्वक गोद ली गई संतान को संतानों की संख्या में शामिल नहीं किया जाएगा।	02-Aug-2016
01.06.2002 या उसके बाद दो से अधिक संतान होने पर पदोन्नति पर तीन भर्ती वर्षो तक विचार नहीं किया जाएगा।	19-Sep-2017
पूर्व प्रसव में उत्पन्न विकलांग संतान को संतानों की गिनती में शामिल नहीं किया जाएगा। (01.06.2002 से लागू)	03-Jul-2019
कानूनी पुनर्विवाह पश्चात प्रथम प्रसव पर संतान पैदा होने पर नियुक्ति हेतु अयोग्य नहीं माना जाएगा यदि विवाह से पूर्व अयोग्य न हो (01.06.2002 से लागू)	18-Aug-2020